रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-03072026-274037
CG-MH-E-03072026-274037

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3389]	नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948
No. 3389]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 29 जून, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20A के तहत

का.आ. 3524(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची मे दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के **वर्धा, जिला में "भुसावल-बडनेरा-वर्धा 3rd और 4th लाईन (313 किलोमीटर)"** की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम कि धारा 20 घ कि उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध मे आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात **उपजिलाधिकारी (भूसंपादन) विपाविम, वर्धा,** महाराष्ट्र को लिखित मे किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय मे उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

अधिसुचना

परिशिष्ट'अ

रेल्वे सुधारित अधिनियम 1989 आणि भूसंपादन रेल्वे (सुधारणा) कायदा 2008 कलम 20 (अ) अनुसार

वर्धा - बडनेरा तीसरी चौथी रेल्वे मार्ग

अ. क्र.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गावाचे नाव	तालुका	भूधारकाचे नाव	सर्व्हे क्रमांक	भूधारणा पद्धती	7/12 प्रमाणे एकूण क्षेत्र (हे.आर.)	संपादन करावयाचे क्षेत्र (हे.आर.)
1	16/एल एक्यु-47/2025-26	बोरगाव मेघे	वर्धा	अधिकार अभिलेखाप्रमाणे	रस्ता	सरकार	6.3116	0.0667
2				अध्यक्ष कृषी उत्पन्न बाजार समिती वर्धा	52	1	5.9200	0.2518
3				रामेश्वर गंगाबक्ष सराफ, सुनिलकुमार रामेश्वर सराफ, दि नागपुर इलक्ट्रीक लाईट अँन्ड पावर कंपनी लि. नागपुर, प्राणलाल भरीचंद्र गंगालानी, छोटेलाल रामचंद्र लोटीन, वासुदेव दामोदर भाके, सिद्धगोपाल शिवबालकप्रसाद शर्मा, हरप्रसाद शिवबालकप्रसाद शर्मा, रामगोपाल शिवबालकप्रसाद शर्मा, प्रकाश दामोदर मंगरूळकर, दि नागपुर लाईट अँन्ड इलक्ट्रीक कंपनी नागपुर शा. वर्धा, मोहन ट्रेडिंग कंपनी तर्फे पार्टनर, मालाधिन मन्नालाल अग्रवाल	54	1	0.1394	0.1125

अधिसुचना								
परिशिष्ट'अ								
रेल्वे सुधारित अधिनियम 1989 आणि भूसंपादन रेल्वे (सुधारणा) कायदा 2008 कलम 20 (अ) अनुसार वर्धा - बडनेरा तीसरी चौथी रेल्वे मार्ग								
अ. क्र.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गावाचे नाव	तालुका	भूधारकाचे नाव	सर्व्हे क्रमांक	भूधारणा पद्धती	7/12 प्रमाणे एकूण क्षेत्र (हे.आर.)	संपादन करावयाचे क्षेत्र (हे.आर.)
4				मॅनेजर्जाग डायरेक्टर इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन, मुंबई मॅनेजींग डायरेक्टर महा. स्टेट वेअर हॉउसींग कार्पोरेशन पुना, नझुल सरकार, महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन मुंबई	55	1	8.4900	0.0330
						कुल	20.8610 (हे.आर.)	0.4640 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/BSL-BD-WR 3rd & 4th/Borgaon Meghe Vlg/20A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th June, 2026

Under clause 20A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 3524(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (11 of 2008), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **"Bhusawal-Badnera-Wardha 3rd & 4th Line (313 Kms)"** in the district of **Wardha** in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Dy. Collector (Land Acquisition), VIDC, Wardha,** Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Notification

Appendix A

Wardha-Badnera 3rd & 4th Railway line as per section 20 (A) of Railways Amendment Act 1989 and Land Acquisition Railway (Amendment) Act 2008

Sr. No.	Land Acquisition Case No.	Village Name	Tahsil	Name of Landholder	Survey No.	Land holding practices	Total area as per 7/12 (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)
1	16/LAQ-47/2025-2026	Borgaon Meghe	Wardha	According to the record of rights (Road)	Road	GOV.	6.3116	0.0667
2				Chairman Agricultural Produce Market Committee Wardha	52	1	5.9200	0.2518
3				Rameshwar Gangabax Saraf, Sunil Kumar Rameshwar Saraf, The Nagpur Electric Light and Power Company Ltd. Nagpur, Pranlal Bharichandra Gangalani, Chhotelal Ramchandra Lottin, Vasudev Damodar Bhake, Siddhgopal Shivbalak Prasad Sharma, Harprasad Shivbalak Prasad Sharma, Ram Gopal Shivbalak Prasad Sharma, Prakash Damodar Mangrulkar, The Nagpur Light and Electric Company Nagpur Branch Wardha, Partner at Mohan Trading Company, Maladhin Mannalal Aggarwal	54	1	0.1394	0.1125
4				Managing Director Industrial Development Corporation Mumbai, Managing Director Maha. State Ware Housing Corporation Puna, Nazul Sarkar, Maharashtra Industrial Development Corporation Mumbai	55	1	8.4900	0.0330
						Total	**20.8610 (Ha.)**	**0.4640 (Ha.)**

[F. No. G197/BSL-BD-WR 3rd & 4th/Borgaon Meghe Vlg/20A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA